13. अंक प्रतिशतता गणना की प्रक्रिया

मैरिट निम्न के अनुसार निर्धारित की जाएगी :-

क) प्रवेश के लिए मेरिट दसवीं के कुल प्राप्त अंकों से ही निकाली जाएगी।

ख) CBSE के मैट्रिक प्रमाण पत्र में प्राप्त Grade Point x 9.5 से मेरिट निकाली जाएगी।

ग) Open School :- यदि प्राप्त अंकों व अधिकतम अंकों का कुल योग नहीं दिया गया है तो उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के पहले पांच विषयों में प्राप्त कुल अंकों के योग से मेरिट निकाली जाएगी।

घ) शेष अन्य राज्य:- या तो पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र कुल अंकों को दर्शाता हो या उम्मीदवार कुल अंकों वाला प्रमाण पत्र सम्बन्धित पाठशाला से लाये ।

(उपरोक्त सभी में यदि दो या अधिक उम्मीदवारों की अंक प्रतिशतता (Merit) समान हो तो अधिक आयु के उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।)

14. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की शुल्क संरचना

14.1 शुल्क और अन्य संस्थागत कोष राशियाँ रियायती सीटों (Subsidised Seats) के लिए:-

(आईटीआई के नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फीस और अन्य शुल्क)

चयनित उम्मीदवार को चयनपत्र प्रस्तुत करने की समय पर निर्धारित तारीखों के भीतर सम्बन्धित आई.टी.आई.में निम्नलिखित फीस और अन्य शुल्क जमा करवाने होंगे :-

	(i) Fee	
1	Admission Fee (One Time)	200/-
2	Tuition Fee (Per Six Month)	1200/-
	(ii) Charges	
1	Certificate Charges (One Time)	100/-
2	Insurance (Every Year)	200/-
	(iii) Funds	
1	Institutional Security (Refundable) (One Time)	1000/-
2	Training and Placement Fund (one time)	100/-
3	Identity card fund (One Time)	50/-
4	Student Welfare Fund (Per Six Month)	350/-
5	Development Fund (Building fund, Sports and culture activities fund) (Per Six Month)	250/-
6	Water and Electricity Fund (Per Six Month)	250/-
	Medical Fund (Per Six Month)	100/-
7	Internal Examination Fund (Per Six Month)	100/-
8	Library Fund (Per Six Month)	100/-
9	Computer Education Fund (Per Six Month)	600/-
10	Corpus Fund for student welfare (Per Year) (to be deposited in the Directorate through Institute)	20/-
	Total	**4620/-**

ध्यान दें:

1. निर्धारित फीस और अन्य निधियां अर्धवार्षिक आधार पर लिए जा रहे है ।
2. एक समय (one time) फंडों को प्रशिक्षण अवधि में एक बार लिया जा सकता हैं।
3. महिला प्रशिक्षणार्थियों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी।
4. 40% या उससे अधिक विकलांग प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश शुल्क एवं ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी।

5. कारपेन्टर और आशुलिपि एवं सेक्रेट्रियल सहायक (हिन्दी) के प्रशिक्षणार्थियों को ट्यूशन, प्रवेश शुल्क, संस्थागत सुरक्षा राशि, इंसोरेंस एवं Corpus Fund को छोड़कर अन्य निधियों में 50% तक की छूट है।
6. फीस, अन्य शुल्क और संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को बिना किसी सूचना के बदला जा सकता है।
7. उपरोक्त संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को लेने हेतु प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर आवेदन करना होगा। संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) से प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ किसी भी वसूली / दंड राशि को सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा काटा जा सकता है। सुरक्षा राशि से अतिरिक्त वसूली योग्य राशि को सम्बंधित प्रशिक्षणार्थी संस्थान छोड़ने से पहले जमा करने के लिए बाध्य है। प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर यदि संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को वापिस लेने हेतु प्रशिक्षणार्थी के द्वारा यदि आवेदन नहीं किया गया तो इसे संस्थान के विकास कोष में जमा कर दिया जायेगा एवं तदोपरांत वापिस नहीं किया जायेगा।
8. उपरोक्त सभी निधियां (फीस को छोड़ कर) गैर सरकारी निधि है और सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा संचालित किये जायेंगे, सम्बंधित प्रधानाचार्य संस्थान के छात्र कल्याण समिति की सहमति से एवं छात्र कल्याण निधि के नियमानुसार खर्च कर सकते हैं ।
9. चयनित उम्मीदवार को एक बार में एक ही किस्त में सभी शुल्क अर्धवार्षिक तौर पर जमा करने हैं ।
10 उपरोक्त वर्णित शुल्क एवं निधियां निजी आईटीआई के लिए प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए भी लागू है।
11. सभी शुल्क एवं निधियां जमा करने की अंतिम तारीख माह (February/ August) की 10 तारीख है, इसके उपरान्त माह की 25 तारीख तक 15 रूपये प्रति दिन विलम्ब शुल्क लगेगा, 25 तारीख के बाद प्रशिक्षणार्थी का नाम संस्थान के हाजिरी रजिस्टर से काट दिया जायेगा।

12. इन प्रशिक्षणार्थियों (जिनका नाम शुल्क एवं निधियां निर्धारित समय पर जमा न कराने के कारण काटा गया हो) को पुनः प्रवेश निदेशक तकनीकी शिक्षा की अनुमति से दिया जा सकता है।

13. **निदेशालय में जमा करवाई जाने वाली निधियां प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन के भीतर-भीतर निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें।**

14.2 स्वयं-वित्तपोषित (गैर रियायती) सीटों के लिए शुल्क और अन्य संस्थागत कोष राशियाँ :-

(i) For One year /Two year Engineering Trades

Sr. No	Description	Amount (in Rs.)	Remarks
a) Fee			
1	Admission Fee (One Time)	200/-	To be deposited in Govt. Head
b) Funds			
2	Institutional Security(One Time)	1000/-	Refundable upto 1-year after completion of training
3	Training & Placement Fund (One Time)	100/-	To be retained by the T&P Cell
4	Insurance (Every Year)	200/-	For Insurance purpose of trainees
5	Identity Card Fund (One Time)	50/-	For Identity card of trainees
6	Institutional Development Fund (per Six Month)	6500/-	To be retained/Utilized with the consent of Institute management Committee.
7	Computer Fund (per Six month)	650/-	Computer Fee will be used for raw material pertaining to computer, maintenance of old computers, purchase of new computers and engaging computer trainers etc.
8	Corpus Fundfor student welfare (per year)	20/-	to be deposited in the Directorate through Institute
9	Certificate Charges (One Time)	100/-	
	Total	**8820/-**	

For one year Non-Engineering Trades

Sr. No	Description	Amount (in Rs.)	Remarks
	a) Fee		
1	Admission Fee (One Time)	200/-	To be deposited in Govt. Head
	b) Funds		
2	Institutional Security(One Time)	1000/-	Refundable upto 1-year after completion of training
3	Training & Placement Fund (One Time)	100/-	To be retained by the T&P Cell
4	Insurance (Every Year)	200/-	For Insurance purpose of trainees
5	Identity Card Fund (One Time)	50/-	For I card of trainees
6	Institutional Development Fund (per Six Month)	4825/-	To be retained/Utilized with the consent of Institute management Committee.
7	Computer Fee (Per Six Month)	650/-	Computer Fee will be used for Raw material pertaining to computer, maintenance of old computers, purchase of new computers and engaging computer trainers etc.
8	Corpus Fund for student welfare (per year)	20/-	to be deposited in the Directorate through Institute
9	Certificate Charges (One Time)	100/-	
	Total	**7145/-**	

नोट: -

i. संस्थागत विकास कोष (Institutional Development Fund) संस्थान प्रबंधन समिति की सहमति के साथ प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हित में उपयोग किये जा सकने वाला कोष है। अतः संस्थान प्रबंधन समिति इस कोष का उपयोग स्टेट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों एवं नियमानुसार प्रशिक्षण हित में कर सकती है।

ii. संस्थान प्रबंधन समिति/ छात्र कल्याण समिति कम्प्यूटर निधि को कम्प्यूटर/ Consumable एवं अन्य सम्बन्धित सामग्री, पुराने कम्प्यूटरों के रख रखाव पर खर्च करने के लिए नियमानुसार सक्षम है।

iii. नए कम्प्यूटर की खरीद हेतु निदेशक तकनीकी शिक्षा से नियमानुसार स्वीकृति लेनी होगी।

iv. शुल्क और सुरक्षा राशि का रख रखाव किसी सूचना के बिना बदला जा सकता है।

v. निर्धारित धन राशि अर्धवार्षिक आधार पर ली जायेगी।

vi. एक बार ली जाने वाली धनराशि (one Time) को पूरी प्रशिक्षण अवधि में एक बार ही लिया जायेगा।

vii. उपरोक्त संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को लेने हेतु प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर आवेदन करना होगा। संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) से प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ किसी भी वसूली / दंड राशि को सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा काटा जा सकता है। सुरक्षा राशि से अतिरिक्त वसूली योग्य राशि को सम्बंधित प्रशिक्षणार्थी संस्थान छोड़ने से पहले जमा करने के लिए बाध्य है। प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर यदि संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को वापिस लेने हेतु प्रशिक्षणार्थी के द्वारा यदि आवेदन नहीं किया गया तो इसे संस्थान के विकास कोष में जमा कर दिया जायेगा एवं तदोपरांत वापिस नहीं किया जायेगा।

viii. उपरोक्त संस्थागत विकास कोष / आईएमसी फंड गैर सरकारी कोष हैं। ये फंड सदस्य सचिव IMC द्वारा नियंत्रित होते है और संस्थान की संस्थान प्रबंधन समिति की सहमति के साथ सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा आईएमसी फंड के नियमानुसार इस्तेमाल किया जाएगा।

ix. सभी शुल्क एवं निधियां जमा करने की अंतिम तारीख माह (February/ August) की 10 तारीख है, इसके उपरान्त माह की 25 तारीख तक 15 रूपये प्रति दिन विलम्ब शुल्क लगेगा, 25 तारीख के बाद प्रशिक्षणार्थी को नाम संस्थान के हाजिरी रजिस्टर से काट दिया जायेगा।

x. इन प्रशिक्षणार्थियों (जिनका नाम शुल्क एवं निधियां निर्धारित समय पर जमा न कराने के कारण काटा गया हो) को पुनः प्रवेश निदेशक तकनीकी शिक्षा की अनुमति से दिया जा सकता है।

xi. **निदेशालय में जमा करवाई जाने वाली निधियां प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन के भीतर-भीतर निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें।**

14.3 छात्रावास सुविधाएं एवं शुल्क और अन्य प्रभार

छात्रावास सुविधाएं राजकीय आईटीआई शाहपुर, रिकौंगपीओ, रामपुर, शिमला, सोलन, शमशी, नाहन, चम्बा, ऊना, बिलासपुर, भोरंज, (निःशक्त व्यक्तियों के लिए) सुंदरनगर एवं रैल में उपलब्ध हैं यह शुल्क छात्रावास के लिए प्रवेश करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ही लागू होगा। छात्रावास में प्रवेश (सभी शिफ्ट्स के प्रशिक्षणार्थियों सहित) योग्यता (10वी की मेरिट) के आधार पर किया जाएगा।

Sr. No.	Details	Fee/Charges (in Rs.)
1.	Hostel Room rent (For Six Months)	600/-
2.	Electricity and Water Charges (For Six Months)	600/-
3.	Hostel Services and Maintenance Fund (For Six Months)	750/-
4.	Hostel Development Fund(Yearly)	500/-
5.	Hostel Security (Refundable) (One Time)	1500/- (Refundable)
6.	Mess Charges	On Actual Basis
Total at the time of admission		3950/-

आई.टी.आई (निःशक्त व्यक्तियों के लिए) सुन्दर नगर (हि०प्र०) में लडको के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। निःशक्त प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली सुविधायें निदेशक, अनुसूचित-जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक मामले, हिमाचल प्रदेश से इस सम्बन्ध में जारी किए गए पत्रों के अनुरूप उस विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बारे में विस्तृत जानकारी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से अथवा प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निःशक्त व्यक्तियों (PWD) सुंदरनगर, के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है निःशक्त व्यक्तियों को प्रवेश के समय समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश के ऊपर वर्णित पत्र के अनुरूप गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ देना होगा, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जायेगा।

14.4 परीक्षा शुल्क और अन्य प्रभार

एन.सी.वी.ई.टी./ एस.सी.वी.टी. परीक्षा के लिए निर्धारित फीस प्रशिक्षणार्थी द्वारा जमा करवानी होगी, जिसका निर्धारण समय-समय पर हि.प्र. तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला / डी.जी.टी न्यू दिल्ली करेगी।

नोट:- (1) ये शुल्क किसी भी समय बिना सूचना परिवर्तित हो सकते हैं।

(2) Regular प्रशिक्षणार्थियों को ALL INDIA TRADE TEST में उनके परीक्षा केन्द्र को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

14.5 शुल्क एवं निधियों का समायोजन

i. एक बार जमा किये गए फीस/ फंड्स वापस नहीं लौटाये जायेंगे।

ii. यदि अभ्यार्थी एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में अगले काउंसलिंग राउंड में प्रवेश लेता है तो अभ्यार्थी को फण्ड के समायोजन हेतु पहले जमा करवाई हुई मूल रसीद की प्रति संस्थान में प्रवेश के समय जमा करवानी होगी। सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा की अभ्यार्थी

ने जिस संस्थान में पूर्व में प्रवेश लिया था वहां पर शुल्क जमा करवाए थे। शुल्क का समायोजन रियायती सीटों (Subsidised Seat) से रियायती सीटों, गैर रियायती सीटों (Non-Subsidised Seat) से गैर रियायती सीटों के अतिरिक्त गैर रियायती सीटों से रियायती सीटों एवं रियायती सीटों से गैर रियायती सीटों पर भी कर दिया जाएगा।

iii. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य किसी भी शुल्क का समायोजन नहीं किया जाएगा।

15. प्रशिक्षणार्थियों के लिए सामान्य नियम एवं अन्य जानकारी

(i) वर्दी (Uniform) : -

प्रशिक्षणार्थी निर्धारित वर्दी के दो या इससे अधिक सेट संस्थान में प्रशिक्षण शुरू होने से पहले तैयार करवा लें तथा प्रतिदिन अपने निवास स्थान /छात्रावास से संस्थान और वापिस निवास स्थान /छात्रावास तक पहुँचने तक वर्दी को पहनना अनिवार्य होगा।

ड्रेसकोड:

ग्रीष्मकालीन:

लड़कों के लिए	: स्काई ब्लू रंग की शर्ट और नेवी ब्लू रंग की पेंट (Formal) तथा काले जूते।
लड़कियों के लिए	: हरे रंग की सलवार कमीज और दुपट्टा तथा काले जूते

शीतकालीन:

लड़कों के लिए	:सर्दियों के कपड़े की स्काई ब्लू रंग की शर्ट, नीले रंग की स्वेटर/ पुल-ओवर और नेवी ब्लू रंग की पेंट (Formal) तथा काले जूते।
लड़कियों के लिए	:हरे रंग की सलवार कमीज और दुपट्टा, मैरून स्वेटर तथा काले जूते ।

नोट:

1. प्रशिक्षणार्थी (इंजीनियरिंग व्यवसाय) को कार्यशालाओं में काम करते वक्त गहरे नीले रंग का एप्रन पहनना होगा।
2. चप्पल, ढीली एवं सिंथेटिक फाइबर से बनी पोशाक कार्यशाला में पहनने की अनुमति नहीं है। कार्यशाला इंचार्ज प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से ड्रेस्ड उम्मीदवार को कार्यशाला में प्रवेश से रोक सकते हैं।
3. बिना निर्धारित पोशाक पहने और बिना पहचान पत्र के संस्थान में भाग लेने पर प्रशिक्षणार्थी को 25/- रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वह संस्थान में लगातार अनुशासनहीनता करना जारी रखता है तो उसे प्राधानाचार्य द्वारा संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों के लिए नियम :-

प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों (Casual, Medical,Special Leaves) के लिए नियम DGT द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों के लिए DGT द्वारा निर्धारित (Latest) नवीनतम नियम ही लागू होंगे।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों का पुनः प्रवेश :-

राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगातार 10 कार्यकारी दिवसों तक बिना अवकाश प्राप्त किये अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी का नाम हाजरी रिजिस्टर से काट दिया जायेगा । प्रशिक्षणार्थी यदि नाम कटने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर प्रशिक्षण हेतू वापिस आ जाये, तो उसे निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की अनुमति से कक्षा में दोबारा दाखिल कर सकते हैं । ऐसे दोबारा दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थी को 500/- रूपये पुनः प्रवेश शुल्क के रूप में देने होंगे परन्तु डी.जी.टी. द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी परीक्षा उपस्थिति इत्यादि से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करने पर ही अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।